

राज्यपाल ने कयि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहति (संशोधन) वधियक, 2022 पर हस्ताक्षर चर्चा में क्यो?

26 अप्रैल, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहति 1959 में संशोधन के लयि प्रस्तुत वधियक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहति (संशोधन) वधियक, 2022 पर हस्ताक्षर कयि।

प्रमुख बडि

- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहति (संशोधन) वधियक, 2022 के अनुसार भू-राजस्व संहति के मूल अधिनियम की 12 धाराओं, अध्याय 7 की 48 धाराओं एवं अध्याय 14 की 16 धाराओं में संशोधन कयि गया है।
- संशोधित वधियक में मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 01 में बंदोबस्त आयुक्त के स्थान पर 'आयुक्त भू-अभिलेख' प्रतस्थापित कयि गया है। इसी प्रकार बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर 'ज़िला सर्वेक्षण अधिकारी' प्रतस्थापित कयि गया है।
- मूल अधिनियम के अध्याय 7 में शीर्षक 'नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त' के स्थान पर 'भू-सर्वेक्षण तथा भू-राजस्व निर्धारण' शब्द प्रतस्थापित कयि गया है।
- संशोधित वधियक में नवीन धारा 178 ख का अंतःस्थापन कयि गया है। इसके अनुसार तहसीलदार, खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों को सर्वप्रथम ई-नामांतरण पोर्टल में प्रवर्षित कर हतिबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा एवं आम सूचना या इशतहार का प्रकाशन करेगा।
- किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या तहसीलदार को प्रकरण, किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर, वह ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई-राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल में की जाएगी।